



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



मिसिल संख्या :- 9-HRB043/2019-CHA

दिनांक: 07-01-2020

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ़ -160001

विषय:- Diversion of 0.35964 ha of forest land in favour of Executive Engineer T.S Division, HVPNI., Hisar for erection of two phase 132 KV S/C Line on D/C Tower with 0.2 Sq.” ACSR conductor from 132 KV Sub Station Chandar Khurd to 132 KV TSS Jakhal Line, under Forest Division and District Fatehabad, Haryana (Online proposal No. FP/HR/TRANS/33919/2018)-regarding

संदर्भ 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-8677/550 दिनांक 03.05.2019

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है। प्रस्ताव में इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र संख्या दिनांक 22.08.2019 द्वारा सैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिस की अनुपालना नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-8677/3641 दिनांक 31.12.2019 द्वारा प्राप्त होने के उपरांत केंद्र सरकार उपर्युक्त विषय हेतु 0.35964 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान करती है।

- वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जायेंगे। काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 195 से अधिक नहीं होगी।
- प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Shakarpura Minor RD 0 to 15 B/s में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 19,15,290/- रुपये (Rs, Nineteen lakh fifteen thousand two hundred and ninty only) की राशि से 1.95 हेक्टेयर वन क्षेत्र में पौधें लगाकर किया जायेगा।
- प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए “रास्ते के अधिकार” की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर 27 मीटर होगी।
- प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टेंशन सटरिंगिंग उपकरण लगाने के लिए 3.0 मीटर की चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति दी जायेगी। परन्तु सटरिंगिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जायेगा।
- प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी।
- कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 4.0 मीटर होना चाहिए। कंडक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा। निजली की निकासी बनाये रखने के लिये जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट ह्रांत का कार्य रक्षणीय जन गणतंत्र अधिनारी की अनुमति से किया जायेगा।
- प्रयोक्ता एजेंसी राज्य वन विभाग से विचार-विमर्श करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधिय पौधों के रोपण, सृजन व रख-रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध करायेगी।
- साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।

- xiii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- xiv. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- xv. प्रति पूर्ति पौधारोपण प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धन राशि से एक वर्ष के भीतर होना चाहिए।
- xvi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- xvii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- xviii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

3. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,

 (सी० डी० सिंह)

अपर वन महानिदेशक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. The Pr. Chief Conservator of Forests, Haryana Forest Department, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana.
3. Nodal Officer-cum-CF (FC), Government of Haryana, Forest Department, Sector-6, Van Bhawan, Panchkula, Haryana. 134009
4. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Fatehabad, Haryana.
5. The Executive Engineer T.S Division, HVPNL, Hisar